In the court of Additional District & Session Judge – Vth., Danapur.
Criminal Revision No. 212/2019

23.03.2021 माननीय जिला जज पटना के आदेश सं0 33 दिनांक 12.03.2021 के आदेशानुसार न्या0 फिजिकल मोड में कार्य कर रहा है। आवेदक की पैरवी नहीं है। अभियोजन तथा विपक्षी की हाजरी है। वाद पुकारा गया पुकार पर अपर लोक अभियोजक तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थिति हुए। आवेदक की ओर से आवेदकगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता बार–बार पुकार पर भी उपस्थित नहीं हैं। अपर लोक अभियोजक एवं विपक्षी 'सुचक' के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आज आवेदक को बहस हेतु अंतिम मौका के साथ वाद नियत किया गया था। आवेदक की ओर से न तो आवेदनगण न्यायालय में उपस्थित हैं एवं न ही उनकी ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता का प्रतिनिधित्व किया गया था।

विपक्षी 'सुचक' के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद के विषय ने आवेदक को पुर्ण जानकारी है तथा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय कक्ष के बाहर सुचित किया गया है परंतु प्रस्तुत वाद के सुनवाई यथा आदेश पारित होने में आवेदक को कोई अभिरूचि नहीं है। अतः न्यायहित में निम्न न्यायालय का अभिलेख संबंधित न्यायालय में वापस भेजा जाए। इस संबंध में सुचक की ओर से पुर्व में आवेदन दिनांक 12.03.2021 दिया गया है। जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को प्रदान किया गया है। अपर लोक अभियोजक के द्वारा उक्त आवेदन पर अनापत्ति किया गया है एवं न्यायालय नविन कुमार श्रीवास्तव अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय दानापुर पटना का पत्रांक 283 दिनांक 12.02.2021 प्राप्त है। पत्रानुसार निवेदन है कि किमिनल रिविजन 212/2019 की सुनवाई हेतु नौबतपुर थाना कांड सं0 52/2015 का मुल अभिलेख श्रीमान के न्यायालय में भेजा गया है अगल मुल अभिलेख की आवश्यकता न हो तो उक्त वाद भेजवाने की कृपा की जाए।

सुचक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सुचक पुनव देवी की ओर से दिनांक 12.03.2021 को सवुत सुचि के साथ कागजात 'छायाप्रति' दाखिल किया गया है। तथा लंबित पुर्नरिक्षण वाद में पुर्व से सत्यापित प्रति के साथ संबंधित कागजात दाखिल है तथा अभिलेख के सुनवाई हेतु प्रर्याप्त है।

न्यायालय के द्वारा सुचक के विद्वान अधिवक्ता तथा अपर लोक अभियोजक से यह पुछने पर कि आप सब अपना पक्ष पर सुनवाई करें। तथा उपरांत आवेदक का सुनवाई सुनिश्चित कर यदि अभिलेख में आदेश पारित किया जाए तो कोई आपत्ति है?

सुचक के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक का कथन है कि प्रश्नगत अभिलेख के विषय में आवेदकगण को पुर्ण जानकारी है तथा अभिलेख का निष्पादन आदेश पारित कराने में उनकी कोई अभिरूचि नहीं है तथा न्यायालय निरंतर फिजिकल मोड में एवं वर्चुअल मोड में कार्य कर रहा है। आवेदक के अनुपस्थिति में आदेश पारित करना उचित नहीं है। अतः आवेदक को मध्यांतर पश्चात् एक बार पुनः अंतिम मौका सुनवाई हेतु दिया जाए।

लेखापित

अ0स0न्या0 'पंचम'

मध्यांतर पश्चात्

23.03.2021 वाद पुकारा गया। पुकार पर अपर लोक अभियोजक एवं सुचक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थिति हुए। आवेदकगण की ओर से न तो आवेदकगण उपस्थित हुए एवं न ही उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। अपर लोक अभियोजक की ओर से एक आवेदन इस आशय का दिया गया कि प्रस्तुत किमिनल रिविजन में दिनांक 07.5.19 को ही निम्न न्यायालय का अभिलेख प्रस्तुत वाद में सलग्न किया गया है। प्रस्तुत वाद में दिनांक 9.1.20 को आवेदक की ओर से पैरवी किया गया है उसके उपरांत आवेदकगण इस वाद में पैरवी नही कर रहे हैं न ही वाद की निष्पादन में सहयोग कर रहे हैं। प्रस्तुत वाद पर उपलब्ध कागताज एवं दाखिल कागजात तथा सुचक का आवेदन दिनांक 12.2.21 एवं

COURT OF A.D.J.-Vth
DANAPUR, PATNA

Cr Rev- 212/19

Continued
23/03/2021

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय दानापुर का पत्रांक अनुरोध पत्र का विषय वस्तु को समझते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख संबंधित न्यायालय में भेज दिया जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

अपर लोक अभियोजक एवं सुचक के विद्वान अधिवक्ता का इस विषय पर सुना।

न्यायालय माननीय जिला जज पटना एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के दिशा निर्देशानुसार कोरोना महामारी 2019 के आदेशाअनुसार कार्यरत है। ऐसी स्थिति में किसी पक्ष या विपक्ष पक्षकार पर दबाब देकर सुनवाई हेतु बाध्य करना न्यायहित प्रतित नहीं होता है। सुचक के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित हैं उनके आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख संबंधित न्यायालय में लौटाने का इस निर्देश के साथ आदेश दिया जाता है कि पुर्नरिक्षणवाद में सुनवाई एवं आदेश होना शेष है। निम्न न्यायालय अभिलेख निम्न न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस करें कि कार्योपरांत यदि आवश्यक ना हो तो प्रस्तुत क्रिमिनल रिविजन 212/19 में वापस कर दें। साथ ही यदि आवेदकगण सुनवाई हेतु उपस्थित होते हैं तो अभिलेख की मांग पत्र पर यथाशिघ्र निम्न न्यायालय का अभिलेख नौबतपुर थाना कांड सं0 52/2015 का मुल अभिलेख इस न्यायालय को उपलब्ध करा दें।

वाद दिनांक 08.04.2021 वास्ते सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

लेखापित

अ0स0न्या0 'पंचम'

This is certified that this is ... passed ...

Addl. Sessions Judge-V, Danapur